

Revised Certificate Order 29/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 4/2016

Dated- 25 Jan., 2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra (name of user agency) for Construction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(S) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.27 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(C)
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (f) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)

President of District Level committees &

District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारन

आज दिनांक 05/11/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क हिंगलोट से मदनखेड़ी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को गान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लग्ग है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 14,15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण

खसरा नं	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect.	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	विशनखेड़ा चैना
345	0.57 Hect	विशनखेड़ा चैना
346	0.41 Hect	विशनखेड़ा चैना
178	0.26 Hect	मदनखेड़ी
167/588	0.39 Hect	मदनखेड़ी
Total	2.27 Hect	

के.पी.श्री
सारांच ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत पालिका
पंचायत समिति (ग्राम सभा)
पं. स. खेड़ा जिला बाहरी राधा.)

के.पी.श्री
सारांच ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत पालिका
पंचायत समिति (ग्राम सभा)
पं. स. खेड़ा जिला बाहरी राधा.)

200

दिनांक	विकास का स्थान	पंच / संचालक का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	विकास की कार्यवाही का विवरण	विकास में हुई कार्यवाही का स्थान
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड. सन्स

संख्या 6 दि. : 2380743

G. P. 11

/ व्यास उग सगिति

पंचायत समिति

जिला

यर्थ

[illegible]

आज दिनांक 15/11/2015 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमिटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी के लिए प्राप्त प्रस्ताव जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमिटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमिटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अगिशांषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत पाली

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	बिशनखेड़ा चैना
345	0.57 Hect	बिशनखेड़ा चैना
346	0.41 Hect	बिशनखेड़ा चैना
178	0.26 Hect	मदनाखेड़ी
167/588	0.39 Hect	मदनाखेड़ी
Total	2.27 Hect	

उप उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बरा (राज.)
उपखण्ड छबड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा

विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।

सहायक वन संरक्षक
भीपाबडौद

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारां क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबड़ा के प्रस्ताव लहासी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा के पूर्व अनुश्रुति प्रस्ताव संख्या- 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एवं 29/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुश्रुति जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों, छपबर्डी/छबड़ा से अनुमोदन होकर प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। उक्त प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनायति प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमियों को अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। फलस्वरूप अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबड़ा से प्राप्त लहासी मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कुल 185.00 है० की उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रत्यावर्तन की अनुश्रुति की जाती है। तथा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा द्वारा पूर्व में अनुश्रुति प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि एकड़ 7.166 है० के स्थान पर 6.969 है०, प्रस्ताव संख्या 28/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि एकड़ 6.413 है० के स्थान पर 5.589 है० एवं प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि एकड़ 3.30 है० के स्थान पर 2.27 है० की अनुश्रुति की जाती है। उक्त प्रस्तावों के अनुश्रुति जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र पृथक से जारी हो।

1- अधिशासी अभियंता, जलसंसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबड़ा-

क्र०सं०	यूजर एजेन्सी का नाम	का	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल एकड़ (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, छबड़ा	लहासी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित क्षेत्र हेतु		झगडानी सेतकोलू	140.00 हैक्टर 45.00 हैक्टर योग 185.00 हैक्टर	दीगोद खालसा सेतकोलू 5.12.2015	22.12.2015


अध्यक्ष-एवं जिला कलक्टर
 जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां


Deo Balam
 उप वन संरक्षक
 बारां



अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
 परि० अधि०-माडा जिला परिषद, बारां

25/1/16
 जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

2- अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा:-

क्र० सं०	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव प्रस्ताव सं०	दिनांक	प्रस्तावित भूमि का विवरण पूर्व में प्रस्ता. एकड़	संशोधित भूमि का विवरण संशोधित हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक
1	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा धरनावदा सड़क से 132/500 किमी. 134/200	27/2014	3.12.2014	7.166 है०	6.969 है०	चायौडा (15.10.2015)	10.11.2015
2	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा धरनावदा सड़क से 134/200 किमी. 137/500	28/2014	3.12.2014	6.418 है०	6.589 है०	भोलवाडा नीचा (8.10.2015)	10.11.2015
3	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	हिगलोड से मदनखेडी सड़क	29/2014	3.12.2014	3.00 है०	2.27 है०	पाली (5.11.2015)	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

(सुनिल चिदी)

उप वन संरक्षक

बारा

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदेन नरियोजना अधिकारी-माडा जिला नरियद, बारा

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदेन नरियोजना अधिकारी-माडा जिला नरियद, बारा

(गणेश चन्द परेवा)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदेन नरियोजना अधिकारी-माडा जिला नरियद, बारा

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदेन नरियोजना अधिकारी-माडा जिला नरियद, बारा

(निर्मला मीणा)

सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा